न्यायालयः– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **अजय कुमार पूनिया, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या–CIS No. 744/2020
CNR N. – RJSK 100009482020

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 170/2020 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

1– परवेज पुत्र असलम उम्र 25 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०)

2– शहबाज पुत्र गुलाम साबीर उम्र 30 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०)

.......अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341,323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:–

1. विद्वान अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री दिनेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता–वास्ते अभियुक्तगण।
3. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत, विद्वान् अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

निर्णय **दिनांक– 01.04.2026**

1– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	15.12.2020
आरोप सुनाये जाने की तिथि	15.12.2020
साक्ष्य आरम्भ किये जाने की तिथि	09.03.2021
बयान मुलजिम लिये जाने की तिथि	15.11.2025
बहस अंतिम सुनी जाने की तिथि	01.04.2026
निर्णय की तिथि	01.04.2026

2– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूचि–
(क) अभियोजन–

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी,

		चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य प्रकृति जो भी हो)
पी.डब्ल्यू 01	श्री तनवीर	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 02	श्री अदनान	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 03	डॉ० राजेश ढाका	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू 04	श्री नदीम	चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू 05	मोहम्मद ईशाक	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 06	श्री तुफान सिंह	जाँच अधिकारी

3– अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची (मुताबिक बयान गवाह)–

(ख) अभियोजन–

क्र.सं.	दस्तावेज की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	पुलिस बयान तनवीर	पी 01
2	पुलिस बयान अदनान	पी 02
3	चोट प्रतिवेदन मोहम्मद ईशाक	पी 03
4	एक्स–रे रिपोर्ट	पी 04
5	एक्स–रे प्लेट	पी 05
6	नक्शा मौका	पी 06
7	तहरीरी रिपोर्ट	पी 07
8	चाक एफआईआर	पी 08
9	थाने में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	पी 09

4– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी मोहम्मद इसाहक ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर पर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 09.11.2020 को दोपहर 12.15 बजे वह घर से बाजार जा रहा था, रास्ते में मस्जिद खतिजा तुल अल कुबरा के पास अचानक उस पर घातक हमला किया गया। हमला करने वालों में सदाव, शहबाज, सुफियान, शाहिदा, जैबुन, सबीना, सफाकत, जुल्फिकार देवड़ा, परवेज, नाविद, आफताफ उर्फ सोनू व 5–6 अन्य थे। सभी हाथों में लाटियां, सरिया पत्थर लिये हुये थे। सदाम ने सरिया से उसके सिर पर व अन्य ने लाठियों व सरियों से हमला कर दिया। शाहरूखने बीच बचाव कर

उसे छुड़वाया। कानूनी कार्यवाही की जावे। इत्यादि पर अभियोग संख्या 170/2020 अन्तर्गत धारा 323,341 भादस में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को आरोप प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 341,323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप मौखिक सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

6– अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिए गए तो उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा व साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यू 1 परवेज परीक्षित हुआ है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत 65 बी साक्ष्य अधि. के प्रमाण पत्र प्रदर्श डी1 को प्रदर्शित करवाया है तथा अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होने का कथन किया है।

न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सूनी गई।

7– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी व अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्तगण व उनके साथ के अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 09.11.2020 को दोपहर 12.15 बजे कस्बा फतेहपुर में खतिजा तुल अल कुबरा मस्जिद के पास परिवादी मोहम्मद इस्हाक का रास्ता रोककर इसके साथ लाठी, सरियों आदि से मारपीट कर इसके साधारण उपहतियाँ कारित की हैं, जो अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

8– उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्तगण को रंजिशवश इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है। एफआईआर में नामजद घटना के चक्षुसाक्षी शाहरूख को इस प्रकरण में गवाह नहीं रखा गया है। घटना के दो साक्षी अभियोजन के पक्षद्रोही घोषित हुये हैं। अभियुक्तगण परिवादी के साथ हुई मारपीट के समय अपने घर पर थे। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9– न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

(1) आया अभियुक्तगण पर यह आरोप रहा है कि दिनांक 09.11.2020 को दोपहर 12.15 बजे कस्बा फतेहपुर में खतिजा तुल अल कुबरा मस्जिद के पास परिवादी मोहम्मद इस्हाक का रास्ता रोककर इसके साथ लाठी, सरियों आदि से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की ?

(2) यदि हां तो अभियुक्तगण के लिए उचित दण्ड क्या हो?

10– अभियोजन की ओर से इस प्रकरण में कुल 6 गवाह परीक्षित हुये हैं तथा अभियोजन की साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्त परवेज डी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है।

11– गवाह पी.डब्ल्यू 1 तनवीर, गवाह पी.डब्ल्यू 2 अदनान न्यायालय में अभियोजन के पक्षद्रोही घोषित हुये हैं और अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 3 डॉ० राजेश ढाका आहत मोहम्मद इसाहक के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 को अपनी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करता है तथा जिरह में आहत के आई चोटें परीक्षण से 8 घण्टे के भीतर की होना बताता है।

12– गवाह पी.डब्ल्यू 6 तुफान सिंह इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किये गये अनुसंधान के सम्बन्ध में क्रमवार साक्ष्य देता है। जिरह में यह गवाह कथन करता है कि ''उसके अनुसंधान में सदाम के हाथ में सरिया होना आया था अन्य के हाथ में क्या था ये नहीं आया। यह सही है कि ईशाक के सिर पर चोट नहीं आई थी। यह कहना सही है कि आईआर प्रदर्श पी 3 में वर्णित चोटों का कोई उल्लेख प्रदर्श पी 7 में कार्यवाही पुलिस ई से एफ में नहीं है। यह कहना सही है कि आहत प्रदर्श पी 7 रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने आया तब उसके शरीर पर आईआर में वर्णित चोटें थी। यह कहना सही है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 में जहाँ जहाँ आहत के चोटे आई हैं उन स्थानों का कोई उल्लेख तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 एवं पुलिस बयान डी2 में नहीं है, केवल एक चोट का अंकन है। यह कहना सही है कि उसने अपनी एक चोट लाठी से आना बताया है और यह चोट किस मुल्जिम के द्वारा मारी गयी इसका कोई उल्लेख तहरीरी रिपोर्ट एवं उसके बयानों में नहीं किया। यह

कहना सही है कि कुबरा मस्जिद के किसी भी व्यक्ति के उसने अपने अनुसंधान में कोई बयान नहीं लिये।''

13– इस प्रकरण का परिवादी पी.डब्ल्यू 5 मोहम्मद इशाक मुख्य परीक्षा में दिनांक 09.11.2020 को समय करीब 12 बजे खतिजा तुल अल कुबरा मस्जिद फतेहपुर के पास अभियुक्तगण परवेज, शहबाज व अन्य व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोककर मारपीट किये जाने की साक्ष्य देता है। यह गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त परवेज के द्वारा लाठी से अपने कान पर और अभियुक्त शहबाज द्वारा डंडे से सिर पर चोट मारने के स्पष्ट कथन करता है। इस आहत की उपरोक्त साक्ष्य का समर्थन गवाह पी.डब्ल्यू 4 नदीम ने भी अपनी साक्ष्य द्वारा किया है। इन दोनों गवाहों से अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जिरह की गई है, परन्तु अभियुक्तगण परवेज व शहबाज द्वारा लाठी/डण्डे से परिवादी मोहम्मद इशाक के साथ रास्ता रोककर मारपीट किये जाने के बिन्दु पर ये गवाह जिरह में खण्डित नहीं हुये हैं।

14– अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का परिवादी की जिरह की ओर ध्यान आकृष्ट कर मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 व परिवादी के पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में विशिष्ट अभियुक्त द्वारा परिवादी के विशिष्ट आयुध से पीठ, सिर व कान पर चोट मारने की बात नहीं लिखी हुई है और प्रकरण में घटना का चक्षु साक्षी शाहरूक को बताया गया है, जिसे अभियोजन ने परीक्षित नहीं करवाया है। इस कारण अभियोजन का प्रकरण खण्डित हो जाता है। यह न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपराधिक घटना के सम्बन्ध में मूलभूत तथ्यों का समावेश ही किया जाता है और विधि यह अपेक्षा नहीं करती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण परिवादी/आहत् द्वारा दर्ज किया जावे। साथ ही पत्रावली पर परिवादी के द्वारा दिये गये आवेदन प्रदर्श पी 9 का अवलोकन करें तो इसमें गवाह शाहरूक बयान देने नहीं आने का उल्लेख रहा है और इसी कारण यह व्यक्ति इस प्रकरण में गवाह नहीं रखा गया है। इस कारण इस व्यक्ति की गवाह के रूप में अनुपस्थिति अभियोजन के लिये घातक नहीं मानी जा सकती है।

15– यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत State of U.P. Vs Naresh And ors on 8 Margh, 2011** में भी यही मत प्रतिपादित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का सूक्ष्म वर्णन किया जाना आवश्यक नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त को नामजद नहीं किया जाना भी अभियोजन को विफल माने जाने का आधार नहीं हो सकता है।

16– अब जहाँ तक घटना के समय अभियुक्तगण के अपने घर पर मौजूद होने के तर्क का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पैन ड्राईव व गवाह डी.डब्ल्यू 1 परवेज की साक्ष्य मात्र से ही उचित उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किये गये होना प्रकट नहीं होता है। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति को भी अभियुक्त पक्ष ने परीक्षित नहीं करवाया है, जो इन तथ्यों की स्पष्ट साक्ष्य देता हो। मात्र अभियुक्त स्वयं का कथन कर देना अधिसम्भाव्य रूप से परिवादी के साथ मारपीट की घटना के समय अभियुक्तगण के अन्यत्र उपस्थिति का प्रमाण होना नहीं माना जा सकता है।

17– ऐसी दशा में इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 09.11.2020 को अभियुक्तगण परवेज व शहबाज ने परिवादी मोहम्मद इस्हाक को नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 में एक्स मार्क से दर्शित घटनास्थल पर रास्ता रोककर लाठी डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

18– अतः प्रकरण के अभियुक्तगण 1– परवेज पुत्र असलम उम्र 25 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०), 2– शहबाज पुत्र गुलाम साबीर उम्र 30 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०), को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय

दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(अजय कुमार पूनिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)।

–सजा का बिन्दु–

19– सजा के बिन्दु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्तगण वर्ष 2020 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे है। आयंदा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अंत में अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया, जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

20– उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली का अवलोकन कर सम्बन्धित विधि का अध्ययन किया गया। यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को सुधार का एक अवसर दिया जाना यह न्यायालय न्यायोचित पाता है।

– दण्डादेश–

21– फलतः अभियुक्तगण 1– परवेज पुत्र असलम उम्र 25 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०), 2– शहबाज पुत्र गुलाम साबीर उम्र 30 वर्ष निवासी चिति के कुआ के पास, वार्ड नम्बर 12 फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर (राज०), को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की दोषसिद्धि हेतु अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 06 माह की अवधि के लिए 10,000–10,000/– रूपये का बंधपत्र व इतनी ही राशि की एक–एक प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर अभिप्रमाणित करा दे कि वे उक्त अवधि में सदाचार बनाए

रखेंगे, अपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे तथा परिवीक्षा शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर सजा भुगतने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए, साथ ही अभियुक्तगण पर प्रतिकर के रूप में परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000–1000/– रूपये अधिरोपित किए जाते हैं।

22– प्रतिकर राशि कुल 2000/– रूपये बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार प्रकरण के आहत मोहम्मद इस्हाक को प्रतिकर के रूप में अदा की जावे। इस बाबत तहरीर जारी हो।

(अजय कुमार पूनिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)।

24– निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(अजय कुमार पूनिया)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)।